कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 460 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 28/2/14

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली।

विषयः— **श्री रामजी सिंह, विनोद सिंह एवं अन्य ग्राम पंचायत—खेसराही, प्रखण्ड—पातेपुर जिला—वैशाली के शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर जांच प्रतिवेदन देने के संबंध में।**

प्रसंगः— **आपका पत्रांक 1922/ जन शिकायत, हाजीपुंर, दिनांक 18.11.2013 शिकायत पत्र संख्या —3906/ दिनाक 14.11.2013**

महाशय,

उपरोक्त विषय के क्रम में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक 14.11.2013 को प्राप्त शिकायत पत्र/ आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का स्थल जांच कर जांच प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः— लोकपाल ,मनरेगा ,कार्यालय
शिकायत-पत्र संख्या 43/13—14 के तथ्यएवं निष्कर्ष।
शिकायत— पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

28/2/14

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत पत्र क्रम संख्या 43/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
28.02.14	यह शिकायत पत्र श्री रामजी सिंह, विनोद सिंह एवं अन्य ग्राम पंचायत राज – खेसराही, प्रखण्ड– पातेपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 11.12.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत खेसराही की मनरेगा योजनाओं के कुल सात बिन्दुओं में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। (1) ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2011–12 की मनरेगा योजना द्वारा वृक्षारोपण अन्तर्गत 90 प्रतिशत पौधे सूख गये है। जबकि कागजी खाना पूर्त्ति कर वनपोषकों का भुगतान किया गया है। (2) चापाकल चहेते व्यक्तियों के दरवाजे पर लगाया है। (3) चापाकल में हेड नहीं लगा है तथा सरकारी राशि का बन्दर बाँट किया गया है। (4) पेमेन्ट एडवाइस की जांच किया जाना। (5) योजना संख्या 2/13–14 का जांच कार्य, जिसमें कर्मियों द्वारा 144000/ रूपये उठाव कर बन्दर बाँट किया गया है। (6) सरकार द्वारा तय मानक के विरूद्ध चापाकल लगाया जाना। (7) मुखिया द्वारा तय मानक के अनुसार ग्राम आम सभा आयोजित नहीं किया जाना। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक से शिकायत-पत्र से संबंधित तथ्यों के स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं अभिलेख के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि शिकायत–पत्र में शिकायतकर्त्ता के रूप में जो पाँच ग्रामीण आवेदक है, उन लोगों का कहना है कि मैने कोई आवेदन नहीं दिया है। उनलोगों द्वारा लिखित ब्यान दिया गया है कि शिकायत–पत्र में हस्ताक्षर फर्जी है। किसी व्यक्ति द्वारा मेरा नाम गलत से दे दिया गया है। उक्त कथन के समर्थन में शिकायत–पत्र में उल्लेखित नामों से पाँच शपथ–पत्र (अफेडेविट) पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। मेरे द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– पातेपुर से शिकायत पत्र से संबंधित वृक्षारोपण की कुल 16 योजनाओं, चापाकल, वनपोषक के भुगतान एडवाइस तथा योजना संख्या 02/13–14 सहित सभी तथ्यों पर जांच प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मंतव्य की मांग की गयी। परन्तु उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ताओं से भी, यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध हो सके तो साक्ष्य के साथ, कार्यालय की कार्यवाही में उपस्थित होने की सूचना दी गयी। शिकायतकर्त्ताओं द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्तागण स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अतएव दिनांक 15.02.2014 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत खेसराही के पंचायत रोजगार सेवक मो0 अंजार एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। मेरे स्थल निरिक्षण में पाया गया कि योजना संख्या 02/13–14 जो मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग से संबंधित है। वास्तव में ईटं सोलिंग सड़क का निर्माण किया गया है। मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। अन्य योजनाओं में वृक्षारोपण से संबंधित योजनाओं की जांच की गयी जो निम्न प्रकार है।	

योजना सं0	लगाये गये पौधो की सं0	जीवीत पाये गये पौधों की सं0	योजना स्थल पर चापाकल की स्थिति	योजना स्थल पर बोर्ड की स्थिति
01/11–12	200	137	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड नहीं पाये गये।
02/11–12	200	72	चापाकल नहीं पाये गये।	बोर्ड टूटकर गिरा हुआ पाया गया।
03/11–12	200	53	चापाकल नहीं पाये गये।	बोर्ड नहीं पाये गये।
04/11–12	400	158	चापाकल नहीं पाये गये।	बोर्ड नहीं पाये गये।
05/11–12	200	120	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।
06/11–12	400	256	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।
07/11–12	200	60	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।
08/11–12	400	68	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।
09/11–12	200	शून्य	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।
10/11–12	200	30	योजना स्थल से सटे रोड के दूसरी तरफ लगा है।	बोर्ड पाये गये।
11/11–12	200	50	हेड लगा हुआ नहीं पाये गये।	बोर्ड पाये गये।

दिनांक 19.02.2014 को पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित हुए। उनके द्वारा योजनाओं के अभिलेख तथा ग्राम सभा की बैठक संबंधी पंजी प्रस्तुत की गयी।

मेरे द्वारा मुखिया,ग्राम पंचायत खेसराही से शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी जो अबतक अप्राप्त है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 11.11.2013 को भुगतान एडवाइस के साथ दो ड्राफ्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जो वृक्षारोपण योजनाओं में बनपोषकों की मजदूरी भुगतान से संबंधित है। जिससे पता चलता है कि माह नवम्बर 2013 में वनपोषकों की मजदूरी का भुगतान किया गया है। ग्राम सभा की बैठक पंजी में वर्ष 2013 में क्रमशः 26 जनवरी 1मई , 15 अगस्त एवं 3 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। जिसमें क्रमशः वाइस , ग्यारह, बारह एवं तीन सौ दस ग्रामीणों द्वारा शिरकत किया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम (वृक्षारोपण) की योजनाओं में जीवित पाये गये पौधों की संख्या काफी कम पायी गयी है। योजना संख्या 09/11–12 एवं 10/11–12 की योजनाओं मे वृक्षारोपण हेतु चापाकल उचित स्थल पर नहीं लगाया गया है। अतः विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।